प्रेषक, **पंजीकृत**

रजिस्ट्रार,
उत्तराखण्ड नर्सेज एण्ड मिडवाइव्ज कौंसिल,
स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय, उत्तराखण्ड, देहरादून।

सेवा में,

प्रधानाचार्य,
डिवाइन कॉलेज ऑफ नर्सिंग एण्ड पैरामेडिकल सांइसेज,
ग्राम श्यामपुर, हरिद्वार।

पत्रांक : न.कौ./डिवाइन/सम्बद्धता/निरीक्षण/14/2021/682 दिनांक 16 नवम्बर ~~अक्टूबर~~, 2023

विषय : डिवाइन कॉलेज ऑफ नर्सिंग एण्ड पैरामेडिकल सांइसेज, ग्राम श्यामपुर, हरिद्वार के नर्सिंग प्रशिक्षण पाठ्यक्रम सत्र 2023–24 को उत्तराखण्ड नर्सेज एण्ड मिडवाइव्ज कौंसिल से अनुमति/सम्बद्धता प्रदान किये जाने विषयक।

महोदय,

आपके प्रशिक्षण संस्थान के अन्तर्गत संचालित निम्न नर्सिंग पाठ्यक्रम को उत्तराखण्ड नर्सेज एण्ड मिडवाइव्ज कौंसिल से वर्ष 2023–24 सत्र हेतु अनुमति/सम्बद्धता निम्न शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान की जाती है।

क0सं0	पाठ्यक्रम का नाम	निर्धारित सीट संख्या
1	बी0एस0सी0 नर्सिंग	60 (Sixty)

1. संस्थान को उपरोक्तानुसार निर्धारित सीटो पर ही प्रवेश की अनुमति होगी।
2. संस्थान को उक्त निर्धारित सीटो में प्रवेश उत्तराखण्ड शासन द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अधीन किया जायेगा।
3. भारतीय उपचर्या परिषद्, नई दिल्ली के निरीक्षण की प्रक्रिया के सम्बन्ध में भारतीय उपचर्या परिषद से सम्पर्क स्थापित किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।
4. यदि कोई सूचना या तथ्य भविष्य में गलत पाया जाता है, तो निर्गत अनुमति/सम्बद्धता को निरस्त कर संस्थान के विरूद्ध आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।
5. संस्थान को उक्त पाठ्यक्रम के संचालन हेतु सम्बन्धित विश्वविद्यालय से सम्बद्धता/अनुमति प्राप्त की जानी अनिवार्य होगी।
6. संस्थान का कभी भी औचक निरीक्षण किया जा सकता है। यदि निरीक्षण में कमियां पायी जाती है, तो अनुमति/सम्बद्धता तत्काल प्रभाव से निरस्त किये जाने पर आवश्यक कार्यवाही की जायेगी।
7. प्रशिक्षण संस्थान को भारतीय उपचर्या परिषद्, नई दिल्ली तथा उत्तराखण्ड शासन द्वारा जो भी दिशा–निर्देश/आदेश प्राप्त होंगे वे स्वतः ही संस्थान पर लागू होंगे एवं मान्य होंगे।
8. उक्त नर्सिंग पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु भारतीय उपचर्या परिषद, नई दिल्ली द्वारा निर्धारित शैक्षिक योग्यता एवं अन्य अर्हताएं अनिवार्य होगी।
9. प्रशिक्षण पाठयक्रम में प्रवेश लिये जाने से पूर्व प्रशिक्षणार्थियों के शैक्षिक योग्यता की उत्तराखण्ड विद्यालयी शिक्षा निदेशालय से समकक्षता का सत्यापन कराया जाना अनिवार्य है।
10. भारतीय उपचर्या परिषद् द्वारा समय–समय जारी की गई अधिसूचना/गाइड लाइन एवं नियमों के अनुसार संस्थान में अध्ययनरत प्रशिक्षणार्थियों को पाठ्यक्रमानुसार चिकित्सालयों में प्रयोगिक, अभ्यासिक एवं क्लीनिकल ट्रेनिंग हेतु निर्धारित समय अवधि (Alloted hours) को पूर्ण किया जाना अनिवार्य होगा।
11. भारतीय उपचर्या परिषद् नई दिल्ली के निर्देशानुसार प्रशिक्षण संस्थान में प्रशिक्षणार्थियों को रेगूलर (नियमित) उपस्थिति होना अनिवार्य होगा। यदि कोई संस्थान नोन अटेडिंग पाठ्यक्रम संचालित करता है तो संस्थान के विरूद्ध लागू विद्यमान नियमों के तहत सम्बद्धता निरस्त करते हुए उक्त सूचना राज्य सरकार एवं भारतीय उपचर्या परिषद् नई दिल्ली को की जायेगी।
12. भारतीय उपचर्या परिषद्, नई दिल्ली के मानकानुसार टीचिंग फैकल्टी 1:10 के अनुपात में तथा उत्तराखण्ड नर्सेज एण्ड मिडवाईव्ज कौंसिल में पंजीकृत होना अनिवार्य है।
13. संस्थान को सामु0स्वा0केन्द्र, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र एवं मानसिक चिकित्सालय पर अभ्यासिक प्रशिक्षण हेतु सम्बन्धित सक्षम प्राधिकारी से अनुमति प्राप्त की जानी होगी एवं दो माह के अन्तर्गत उक्त सूचना कौंसिल कार्यालय को उपलब्ध करायी जानी होगी।

14. संस्थान को लैबस् को सुसज्जित करना होगा एवं लैब में आवश्यक उपकरण सम्बन्धी कमियों को पूर्ण कर अधोहस्ताक्षरी कार्यालय को दो माह के अन्तर्गत सूचना प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य होगा।
15. भारतीय उपचर्या परिषद् (नर्स पंजीकरण एवं लक्ष्यानुरारण प्रणाली – एनआरटीएस) विनियम, 2019 अधिसूचना दिनांक 07 मई, 2019 के आलोक में संस्थान में कार्यरत सभी टीचिंग फैकल्टी का एनआरटीएस पोर्टल पर पंजीकरण किया जाना अनिवार्य होगा।
16. संस्थान में कार्यरत जिन टीचिंग फैकल्टी का उत्तराखण्ड नर्सेज एण्ड मिडवाइव्ज कौंसिल में पंजीकरण नही है, उन्हें एक माह के अन्तर्गत उत्तराखण्ड नर्सिंग कौंसिल कार्यालय में पंजीकरण कराया जाना अनिवार्य होगा।
17. उत्तराखण्ड शासन के अनापत्ति पत्र संख्या–608/XXVIII(6)/2021-33(नर्सिंग)/21 दिनांक 07 दिसम्बर, 2021, पत्र संख्या–149224/23/129/XXVIII(6)2022-(Nursing) दिनांक 24 अगस्त, 2023 एवं पत्र संख्या–153797/23/169/XX VIII(6)23 दिनांक 13 सितम्बर, 2023 में वर्णित समस्त शर्तो का कड़ाई से अनुपालन किया जाना अनिवार्य होगा।
18. संस्थान को भारतीय उपचर्या परिषद् नई दिल्ली के मानकानुसार चिकित्सालय पर अभ्यासिक प्रशिक्षण हेतु सम्बन्धित सक्षम प्राधिकारी से अनुमति प्राप्त की जानी होगी।
19. यदि नर्सिंग प्रशिक्षण संस्थान के भवन में नर्सिंग पाठ्यक्रम के अतिरिक्त अन्य कोई नियमित कोर्स संचालित किया जाता है तो संस्थान के विरूद्ध लागू विद्यमान नियमों के तहत सम्बद्धता निरस्त करते हुए उक्त की सूचना राज्य सरकार एवं भारतीय उपचर्या परिषद् नई दिल्ली को की जायेगी।
20. सम्बद्ध/पेरेन्ट चिकित्सालय को प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से प्रमाण पत्र प्राप्त किया जाना अनिवार्य होगा।
21. उक्त शर्तो का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा। अनुपालन न होने की दशा में संस्थान को निर्गत अनुमति/सम्बद्धता स्वतः ही निरस्त समझी जायेगी।
22. प्रत्येक वर्ष अनुमति/संबंद्धता विस्तारण हेतु निर्धारित शुल्क उत्तराखण्ड नर्सेज एण्ड मिडवाईव्ज कौंसिल कार्यालय में वित्तीय वर्ष के माह अप्रैल/मई में जमा किया जाना अनिवार्य होगा।

इस कार्यालय के पत्र संख्या–न.कौ./डिवाइन/सम्बद्धता/निरीक्षण/14/2021/382 दिनांक 06 सितम्बर, 2023 के द्वारा बी0एस0सी0 नर्सिंग पाठ्यक्रम की निर्धारित सीट संख्या संशोधित समझी जाये। उक्त पत्र में वर्णित शेष शर्ते यथावत रहेगी।

संस्थान को उक्त निर्धारित शर्तो एवं प्रतिबन्धों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाना अनिवार्य होगा। उक्त शर्तो का पालन किये जाने पर ही वर्ष 2023–24 हेतु शैक्षणिक सत्र में प्रवेश हेतु अनुमति होगी।

भवदीय

(मनीषा ध्यानी)
रजिस्ट्रार

पत्रांक : न.कौ./डिवाइन/सम्बद्धता/निरीक्षण/14/2021/ तददिनांकित।

प्रतिलिपि–निम्न को सूचनार्थ प्रेषित।

1. सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा, उत्तराखण्ड शासन।
2. निदेशक, चिकित्सा शिक्षा विभाग, 107 चन्दर नगर, देहरादून।
3. सचिव, भारतीय उपचर्या परिषद्, आठवॉ तल, एनबीसीसी सेन्टर, प्लॉट न. 2, कम्यूनिटी सेन्टर, ओखला फेज–1, नई दिल्ली – 110020 ।

(मनीषा ध्यानी)
रजिस्ट्रार